



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2016/श्रावण 13, 1938

No. 543]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2016/SRAVANA 13, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2016

सा.का.नि.764(अ).-- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव करती है ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय (औद्योगिक संबंध नीति विधिक अनुभाग) श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किन्हीं व्यक्तियों से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जा सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की अनुसूची की मद 1 में, अंत में आने वाले "बदली" शब्द के स्थान पर, "बदली या परिधान विनिमार्ण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे।
- (3) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में-
 - (क) नियम 5 में, मद (6) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(6क) परिधान विनिमार्ण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकारों की संख्या;”;

(ख) अनुसूची 1 में,

(i) पैरा 2 में

(क) उप-पैरा (क) में, मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत-स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(3क) परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार;”;

(ख) उप-पैरा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंत-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) कोई “परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार” एक ऐसा कर्मकार है जिसे नियत अवधि के लिए ठेकागत नियोजन आधार पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे किसी स्थाई कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह, स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसकी नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अवधि तक नहीं बढ़ाई जाती है।”;

(ii) पैरा 13 में उप पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन कोई भी अस्थायी कर्मकार चाहे वह मासिक मजदूरी दर पर, साप्ताहिक मजदूरी दर पर या मात्रानुपातिक दर पर हो, और ठेकागत या नियोजन का नवीकरण न होने अथवा इसके समाप्त होने के परिणामस्वरूप कोई भी परिवीक्षाधीन अथवा बदली अथवा परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, किसी सूचना या उसके बदले में वेतन का हकदार नहीं होगा;

परन्तु किसी अस्थायी कर्मकार की सेवाएं तब तक दंड के रूप में समाप्त नहीं की जाएंगी जब तक उसे अपने विरुद्ध अभिकथित कदाचार के आरोपों को पैरा 14 में विहित रीति से स्पष्ट करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो”;

(ग) (1) अनुसूची 1क में,

(i) पैरा 3 में,

(क) उपपैरा (क) में मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत-स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(vii) “परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार।”;

(ख) उप-पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) कोई “परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार” एक ऐसा कर्मकार है जिसे नियत अवधि के लिए ठेकागत नियोजन आधार पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह, स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार अनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसकी नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अवधि तक नहीं बढ़ाई जाती है।”;

(ii) पैरा 13 के उप-पैरा (ख) में, “उपबंधों के अधीन रहते हुए” से आरंभ होने वाले और “और बदली कर्मकार” के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

“(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(i) अस्थायी और बदली कर्मकार के मामले में नियोजन समाप्त किये जाने के लिए कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(ii) परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन आधार पर नियोजित कोई कर्मकार ठेकागत या नियोजन के नवीकरण न होने अथवा इसकी समाप्ति के परिणामस्वरूप किसी सूचना या उसके बदले में वेतन का हकदार नहीं होगा, यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।”।

[फा.सं.एस-12011/1/2016-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना. सा.का.नि. संख्या एलआर 11(37) तारीख 18 दिसम्बर, 1946 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार उसमें अधिसूचना सा.का.नि सं.655(अ) तारीख 10 अक्टूबर, 2007 तथा शुद्धिपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि 708(अ) तारीख 13 नवंबर, 2007 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2016

G.S.R.764(E).— The following draft of certain rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken up for consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment (Industrial Relations Policy Legal Section), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period from the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), in the Schedule, in item 1, for the word “*badlis*” occurring at the end, the words “*badlis* or fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector” shall be substituted.
3. In the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946,-
 - (a) in rule 5, after item (6) and the entries relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-
“(6A) Number of fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector;”;
 - (b) in Schedule 1,—
 - (i) in paragraph 2,—
 - (A) in sub-paragraph (a), after item (3) and the entry relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-
“(3A) fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector;”;
 - (B) after sub-paragraph (g), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
“(h) A “fixed term employment workman in apparel manufacturing sector” is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period. However, his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute.”;

(ii) in paragraph 13, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), no temporary workman whether monthly rated, weekly rated or piece rated, and no probationer or *badli* or fixed term employment workman in apparel manufacturing sector, as a result of non-renewal of contract or employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay *in lieu* thereof, if his services are terminated:

Provided that the services of a temporary workman shall not be terminated as a punishment unless he has been given an opportunity of explaining the charges of misconduct alleged against him in the manner prescribed in paragraph 14.”;

(c) in Schedule 1A,—

(i) in paragraph 3,—

(A) in sub-paragraph (a), after item (vi) and the entries relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-

“(vii) fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector.”;

(B) after sub-paragraph (g), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

‘(h) A “fixed term employment workman in apparel manufacturing sector” is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period. However, his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute.’;

(ii) in paragraph 13, in sub-paragraph (b), for the portion beginning with “Subject to the provisions” and ending with “and *badli* workmen:”, the following shall be substituted, namely:-

“(b) Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),—

(i) no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary and *badli* workmen;

(ii) no workman employed on fixed term employment basis in apparel manufacturing sector as a result of non-renewal of contract or employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay *in lieu* thereof, if his services are terminated.”.

[No. S-12011/1/2016-IR(PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number LR 11 (37), dated the 18th December, 1946 and were lastly amended by notification number G.S.R.655(E), dated the 10th October, 2007 and corrigendum notification number G.S.R. 708(E), dated the 13th November, 2007.